न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 248 / 2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024 / 298

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री इंसाफ अली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर मैसर्स गौरी ईमित्र एवं सीएससी सेन्टर गोगेलाव, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद जानकारी अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनांक** – 21.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 19 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर,01 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस उसके भाई से तामिल हुआ जो तामिल पर्याप्त हैं। अप्रार्थी बावजूद पर्याप्त तामिल/जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 21.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

2. प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 07.10.2024 की पालना में डॉ. निकिता राठौड़ जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बीकानेर रोड़ गोगेलाव स्थित मैसर्स गौरी ई मित्र एवं सीएससी सेन्टर, पहुंचकर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/ दुरूपयोग की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर ई मित्र संचालक से गैस रिफिलिंग के बारे में पूछने पर बताया कि यहां गैस भर देगें। मौके पर ई–मित्र संचालक को जब यह पता चला कि यह जांच टीम है तो वह मौके से फरार हो गया। वक्त जांच ई–मित्र संचालक के परिसर में गैस रिफिलिंग की एक मोटर मय पाईप (संख्या 2) व नोजल युक्त (संख्या 1) व एक सिलेण्डर पाया गया। मौके पर ई–मित्र के बैनर पर इंसाफ अली के सम्पर्क सूत्र दिये गये नं. 9785534898 पर भी सम्पर्क करने पर उनके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया व न ही मौके पर उपस्थित हुआ। मौके पर संचालक के उपस्थित नहीं होने के कारण नजदीकी पुलिस थाना सदर,नागौर से सम्पर्क किया गया जिस पर श्री कमलेश हेड कानिस्टेबल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस जाब्ता की उपस्थित मे संचालक के गोदाम की विडियोग्राफी करवाते हुए ताला तुड़वाया गया,जिसमें 18 गैस सिलेण्डर व पानी भरने की मोटर मय पाईप मिली। इस प्रकार मौके पर कुल 19 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	400834-S	14.2 किग्रा
2	एचपीसीएल	8904558-S	14.2 किग्रा
3	एचपीसीएल	7079920-S	14.2 किग्रा

कलक्टर नागौर

4	एचपीसीएल	974655-T	14.2 किग्रा
5	एचपीसीएल	301630-T	14.2 किग्रा
6	एचपीसीएल	146625-T	14.2 किग्रा
7	एचपीसीएल	215146-S	14.2 किग्रा
8	एचपीसीएल	290746-S	14.2 किग्रा
9	एचपीसीएल	503260-E	14.2 किग्रा
10	एचपीसीएल	218357-E	14.2 किग्रा
11	एचपीसीएल	925103-T	14.2 किग्रा
12	एचपीसीएल	434338-S	14.2 किग्रा
13	एचपीसीएल	627082-S	14.2 किग्रा
14	एचपीसीएल	368636-S	14.2 किग्रा
15	एचपीसीएल	484706-S	14.2 किग्रा
16	एचपीसीएल	789548-S	0
17	एचपीसीएल	478320-1	0
18	बीपीसीएल	350643-E	0
19	बीपीसीएल	56160-T	0
20	1 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल		

उपरोक्त 19 गैस घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 1 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गरीब नवाज एचपी गैस सर्विस, बासनी के प्रतिनिधि श्री मुद्दसर अंसारी की सुपुर्दगी मे दिये गये है। इस प्रकार श्री इंसाफ अली का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 19 गैस घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर,1 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके द्वारा यह जब्त सुदा सामग्री उनकी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज कार्यालय में पेश नहीं किये हैं एवं न ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर एतराज प्रकट किया गया हैं,जिससे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य सही होना प्रतीत होता हैं।

4. अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण में इस निर्णय के पैरा संख्या 02 में वर्णित 17 एचपीसीएल कम्पनी के एवं 02 बीपीसीएल कम्पनी के कुल 19 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 गैस भरने की मोटर मय 2 पाईप व 2 नोजल को समपहरण(Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 19 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन एवं अन्य जब्त सुदा सामग्री का जरिऐ निलामी निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिया जाता हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी,नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

5. निर्णय आज दिनांक 21.01.025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर नागौर